कार्यालय नगर पालिक निगम, अम्बिकापुर
जिला–सरगुजा (छ.ग.)

रूचि की अभिव्यक्ति (EOI)

स्वच्छ भारत मिशन ''सुविधा–24'' योजना के अन्तर्गत

सामुदायिक सह सार्वजनिक शौचालय निर्माण कार्य

(10 ईकाई 10 सीटर)

आयुक्त
नगर पालिक निगम
अम्बिकापुर

कार्यालय नगर पालिक निगम, अम्बिकापुर, सरगुजा (छ.ग.)

क्रमांक **819** / लो.नि.वि. / न.पा.नि. / 2015–16 अम्बिकापुर, दिनांक **10 / 02 / 2016**

रूचि की अभिव्यक्ति (EOI)

नगर पालिक निगम, अम्बिकापुर द्वारा केन्द्र प्रवर्तित स्वच्छ भारत मिशन–''सुविधा–24'' योजनान्तर्गत 10 नग सामुदायिक सह सार्वजनिक शौचालय निर्माण तथा निर्माण उपरांत 30 वर्षो तक संचालन–संधारण के कार्य हेतु निर्धारित अर्हताधारी, अशासकीय संगठन (एनजीओ) से स्पीड पोस्ट / पंजीकृत डाक के माध्यम से ''रूचि की अभिव्यक्ति'' दिनांक **16 / 03 / 2016** को अपरान्ह 5.30 बजे तक अमानत राशि रूपये 1.37 लाख के एफ.डी.आर. (जो आयुक्त, नगर पालिक निगम, अम्बिकापुर के नाम से देय हो) सहित आमंत्रित की जाती है। निर्धारित समयावधि में प्राप्त ''रूचि की अभिव्यक्ति'' का प्रस्ताव दिनांक **17 / 03 / 2016** को पूर्वान्ह 11.00 बजे कार्यालय प्रशासनिक भवन में खोली जावेगी। इस समय पर प्रस्ताव प्रस्तुतकर्ता फर्म अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते है।

''रूचि की अभिव्यक्ति'' प्रस्तुत करने हेतु नियम शर्ते एवं दस्तावेज का प्रारूप दिनांक **09 / 03 / 2016** तक राशि रूपये 10,000.00 (रूपये दस हजार) निगम कोष में नगद संग्रहित कराते हुए कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

कार्य का विस्तृत विवरण, नियम तथा शर्ते / ''रूचि की अभिव्यक्ति'' का प्रारूप दस्तावेज विभाग के वेबसाईट www.uad.cg.gov.in पर देखी जा सकती है।

आयुक्त
नगर पालिक निगम
अम्बिकापुर

अशासकीय संगठन की न्यूनतम अर्हता :–

(1) ''रूचि की अभिव्यक्ति'' के प्रस्ताव के साथ निम्नानुसार स्व–प्रमाणित दस्तावेज संलग्न करना अनिवार्य होगा :–

- अशासकीय संगठन (एनजीओ) के वैध पंजीयन का प्रमाण पत्र। (न्यूनतम 03 वर्ष पूर्व)
- राज्य शासन/शासकीय उपक्रमों में अशासकीय संगठन (एनजीओ) की मान्यता प्राप्ति का प्रमाण पत्र।
- अशासकीय संगठन (एनजीओ) का वार्षिक टर्न ओव्हर जो रूपये 182.40 लाख से अन्यून बैलेंस शीट की प्रमाणित प्रति। (सक्षम चार्टड एकाउण्टेंट द्वारा अभिप्रमाणित)
- अशासकीय संगठन (एनजीओ) द्वारा विगत 03 वर्षो में किये गये कार्यो का सम्पूर्ण विवरण। (सक्षम दस्तावेजों सहित)
- अशासकीय संगठन (एनजीओ) में कार्यरत् सिविल इंजीनियरों, वास्तुविदों एवं समाज शास्त्रियों की सूची।
- अमानत राशि हेतु रूपये 50,000.00 (रूपये पचास हजार) का टीडीआर/एफडीआर जो आयुक्त, नगर पालिक निगम, अम्बिकापुर के पक्ष में देय हो। (अमानत राशि के सम्बन्ध में किसी भी संस्था को छूट प्रदान नहीं की जावेगी)
- अशासकीय संगठन (एनजीओ) शासन के किसी भी विभाग अथवा उपक्रम में ब्लैक लिस्टेड नहीं है, इस आशय का शपथ पत्र।
- अशासकीय संगठन विचाराधीन कार्य को दिये गये समयावधि में पूर्ण करने की आर्थिक सक्षमता का विवरण। (चार्टड एकाउण्टेंट से अभिप्रमाणित वार्षिक वित्तीय टर्नओव्हर विगत 03 वर्षो का)

''रूचि की अभिव्यक्ति'' प्रस्ताव हेतु सामान्य अनुदेश नियम तथा शर्तेः–

(1) अशासकीय संगठन (एनजीओ) द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आंकलन उपरांत कार्य हेतु एजेन्सी का चयन किया जावेगा।

(2) सामुदायिक सह सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण उपरांत आगामी 30 वर्षो तक संचालन एवं संधारण का कार्य योजना के प्रावधान अनुसार किया जाना अनिवार्य होगा।

(3) अशासकीय संगठन द्वारा कार्य हेतु वित्तीय प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया जाना है। ईओआई के माध्यम से चयनित एनजीओ को अनुमोदित प्रस्ताव की दर पर कार्य आबंटित किया जावेगा।

(4) सामुदायिक सह सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण छत्तीसगढ़ लोक निर्माण विभाग की दर अनुसूची प्रभावशील दिनांक 01.01.2015 अनुसार एसओआर दर से 10 प्रतिशत न्यून दरों पर किये जाने का प्रावधान प्राक्कलन में किया गया है, तद्नुसार ही निर्माण कार्य का भुगतान माप के आधार पर किया जावेगा।

(5) अशासकीय संगठन (एनजीओ) के चयन की सूचना कार्यालय द्वारा दिये जाने के उपरांत आगामी 07 दिवस की समयावधि में कार्य हेतु नियमानुसार अनुबंध सम्पादित किये जाने हेतु अशासकीय संगठन (एनजीओ) के अधिकृत प्रतिनिधि को कार्यालय में उपस्थित होना अनिवार्य होगा।

(6) प्रस्तावित निर्माण कार्य हेतु 06 माह की समयावधि निर्धारित है। कार्यादेश उपरांत निर्धारित समयावधि में कार्य पूर्ण करना आवश्यक होगा।

(7) अशासकीय संगठन को कार्य के विरूद्ध किसी भी प्रकार के अग्रिम राशि का भुगतान नहीं किया जावेगा।

(8) शासन को देय समस्त रॉयल्टी/करों/शुल्कों के भुगतान का दायित्व अशासकीय संगठन का होगा।

(9) कार्य के देयकों से नियमानुसार कटौतियां की जावेंगी।

(10) निकाय की आवश्यकतानुसार कार्य की मात्रा में कमी/वृद्धि की जा सकेगी।

(11) कार्य हेतु अनुबंधित एजेन्सी द्वारा सामुदायिक सह सार्वजनिक शौचालयों के उपयोग हेतु हितग्राहियों से रूपये 75.00 प्रति परिवार प्रतिमाह प्रभार शुल्क की वसूली शौचालय के संधारण एवं संचालन कार्य हेतु की जावेगी।

(12) सामुदायिक सह सार्वजनिक शौचालय का उपयोग शहर में आने जाने वाले नागरिकों द्वारा किये जाने पर रूपये 5.00 प्रति व्यक्ति सुविधा हेतु प्रभार शुल्क की वसूली की जावेगी।

(13) प्रत्येक 05 वर्ष की अवधि उपरांत प्रभार शुल्क में 10 प्रतिशत की वृद्धि निकाय की पूर्व स्वीकृति उपरांत अनुबंधित एजेन्सी द्वारा की जा सकेगी।

(14) सामुदायिक सह सार्वजनिक शौचालय के उपयोग से वसूली की गई प्रभार शुल्क की राशि का उपयोग अनुबंधित एजेन्सी द्वारा शौचालय के संधारण एवं संचालन के लिए अतिरिक्त स्त्रोत के लिए किया जावेगा।

(15) इस योजना के अन्तर्गत निर्मित शौचालयों में पुरूषों एवं महिलाओं के लिए पृथक–पृथक हिस्से में शौचालय, स्नागार, मूत्रालय (यूरिनल), कपड़े धोने की व्यवस्था होगा। विकलांगो के लिए टायलेट का आकार बड़ा होगा, जिसमें स्नान करने की भी व्यवस्था होगी। विकलांगो के सुविधापूर्वक आवागमन हेतु रैम्प का निर्माण किये जाने का प्रावधान किया गया है। सामुदायिक सह सार्वजनिक शौचालय की छत पर केयर टेकर हेतु निवास का प्रावधान किया गया है। शौचालय में महिलाओं द्वारा उपयोग किये जाने वाले हिस्से में सेनेटरी नेपकिन इनसिनिरेटर की भी व्यवस्था सुनिश्चित की जावेगी। शौचालय के हिस्से में सीमित संख्या में सीटों का उपयोग पुरूष एवं महिलाओं द्वारा रात्रि में भी किये जाने की व्यवस्था होगी, अर्थात शौचालयों का 24 घण्टे उपयोग जा सकेगा। उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार शौचालयों का निर्माण एवं संचालन–संधारण कार्य करना होगा।

(16) कार्य हेतु चयनित अशासकीय संगठन सामुदायिक सह सार्वजनिक शौचालय के संचालन एवं संधारण कार्य के अन्तर्गत शौचालय परिसर तथा उसके आसपास के क्षेत्र को साफ–सुथरा रखने के लिए दायी होगी। इसके लिए ठोस अपशिष्ट, शौचालय से निकलने वाले द्रव पदार्थ के शुद्धिकरण की प्रक्रिया उनके द्वारा सम्पादित की जावेगी।

(17) शौचालय परिसर में किसी प्रकार की अवांछित गतिविधि को रोकने तथा शौचालय का दुरूपयोग न हो, इसका सम्पूर्ण दायित्व अनुबंधित एजेन्सी का रहेगा।

(18) सभी प्रकार के सामुदायिक सह सार्वजनिक शौचालयों में 01–01 केयर टेकर नियुक्त किया जावेगा, जिसे जिला कलेक्टर द्वारा निर्धारित न्यूनतम दर पर मजदूरी अनुबंधित एजेंसी द्वारा प्रत्येक माह के 07 तारीख के पूर्व मात्र आरटीजीएस द्वारा भुगतान की जावेगी।

(19) शौचालय में एक सुझाव/शिकायत पेटी अनुबंधित एजेन्सी द्वारा लगायी जावेगी, जिसमें नागरिक उचित सुझाव लिखकर डाल सकेंगे। सुझाव पेटी पर निकाय के अधिकारी द्वारा ताला लगाया जावेगा, और समय–समय पर खोलकर, सुझावों का परीक्षण कर आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।

(20) अनुबंधित एजेंसी द्वारा शौचालय की प्रतिदिन 02 बार धुलाई फिनायल के साथ की जावेगी। इसके लिए अच्छी क्वालिटी के फिनायल का उपयोग किया जावेगा। शौचालय की सीटें, वॉशबेसिन इत्यादि एसिड से धोकर साफ–सुथरे रखे जावेंगे।

(21) 02 वर्ष में एक बार सम्पूर्ण शौचालय भवन की बाहर से स्नोसेम द्वारा पुताई करायी जावेगी तथा शौचालय के अंदर वर्ष में 02 बार पुताई किया जाना अनिवार्य होगा

(22) शौचालय की दीवारें, फर्श, छत एवं समस्त हिस्सों की समय–समय पर रिपेयरिंग की जावेगी।

(23) अनुबंधित एजेन्सी द्वारा समय–समय पर प्रकाश हेतु विद्युत बल्ब, ट्यूबलाईट इत्यादि बदले जावेंगी। शौचालय में प्रकाश की व्यवस्था को 100 प्रतिशत मेन्टेन की जावेगी।

(24) संधारण के सम्बन्ध में निर्धारित मापदण्डों का पालन नहीं किये जाने की स्थिति में अनुबंधित एजेन्सी के विरूद्ध अनुबंधित लागत का अधिकतम 06 प्रतिशत तक शस्ति आरोपित किया जा सकेगा, तथा त्रुटियों को बार–बार दुहराये जाने पर अनुबंधित एजेन्सी का अनुबंध निरस्त कर काली सूची में दर्ज किया जावेगा, एवं उससे संचालन एवं संधारण के शेष अवधि के लिए होने वाले व्यय की वसूली की जा सकेगी।

(25) निर्धारित समयावधि के उपरांत प्राप्त ''रूचि की अभिव्यक्ति'' के प्रस्ताव मान्य नहीं किये जावेंगे।

(26) निकाय द्वारा शौचालय परिसर हेतु विद्युत, पानी, तथा निकाय के संसाधनों से सेप्टिक टैंक की सफाई व्यवस्था निःशुल्क प्रदान की जावेगी।

(27) सेप्टिक टैंक सफाई हेतु निकाय के संसाधनों के अभाव में सेप्टिक टैंक की सफाई का कार्य चयनित एनजीओ द्वारा स्वयं के व्यय पर किया जावेगा।

(28) सेप्टिक टैंक की सफाई हेतु श्रमिकों का उपयोग पूर्णतः वर्जित रहेगा।

(29) योजनान्तर्गत निर्मित सामुदायिक सह सार्वजनिक शौचालयों के बाहरी दीवारों पर निकाय द्वारा विज्ञापन का प्रदर्शन किया जावेगा, इस हेतु विज्ञापनकर्ता एजेन्सी का चयन प्रतिस्पर्द्धा के माध्यम से अधिकतम बोली/ऑफर के आधार पर किया जावेगा। विज्ञापन प्रदर्शन से अर्जित आय निकाय कोष में संग्रहित करायी जावेगी।

(30) ''रूचि की अभिव्यक्ति'' प्रस्ताव के अन्तर्गत प्रस्तुत किये जाने वाले समस्त दस्तावेज स्व–हस्ताक्षरित एवं पटनी होना अनिवार्य है।

(31) कार्य के सम्बन्ध में आवश्यक होने पर संशोधन सूचना विभाग के वेबसाईट www.uad.cg.gov.in पर ही प्रकाशित की जावेंगी। संशोधन सूचना का प्रकाशन समाचार पत्रों में नहीं किया जावेगा।

(32) ''रूचि की अभिव्यक्ति'' प्रस्ताव के अन्तर्गत वांछित दस्तावेजों का क्रम निर्धारित करते हुए पृष्ठाकिंत किया जाकर बाईडिंग के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(33) ''रूचि की अभिव्यक्ति'' प्रस्ताव के दस्तावेजों का क्रम निम्नानुसार होना चाहिए :–

- कव्हरिंग लेटर।
- दस्तावेज शुल्क का विवरण (कार्यालयीन रसीद अथवा डिमाण्ड ड्राफ्ट का विवरण)
- अमानत राशि का विवरण।
- अशासकीय संगठन का पंजीयन प्रमाण पत्र सह दस्तावेजों सहित।
- अशासकीय संगठन के विगत 03 वर्षो का वार्षिक टर्नओव्हर का विवरण। (चार्टड एकाउण्टेंट द्वारा अभिप्रमाणित)
- अशासकीय संगठन द्वारा विगत 03 वर्षो में किये गये कार्यो का सम्पूर्ण विवरण। (सक्षम दस्तावेजों सहित)
- अशासकीय संगठन में कार्यरत् वास्तुविदों एवं समाज शास्त्रियों की सूची।
- अशासकीय संगठन किसी भी शासकीय विभाग अथवा उपक्रम में ब्लैक लिस्टेड नहीं है, इस आशय का शपथ पत्र। (रूपये 100.00 नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर)
- प्रस्तावित कार्य हेतु कार्यालय द्वारा तैयार किये गये ''रूचि की अभिव्यक्ति'' दस्तावेज की स्व–प्रमाणित प्रति।
- अन्य दस्तावेज यथा आवश्यक।

(34) ''रूचि की अभिव्यक्ति'' प्रस्ताव का प्रारूप, दस्तावेज नियम तथा शर्ते विभाग के वेबसाईट से सीधे डाउनलोड कर निर्धारित प्रक्रिया के अन्तर्गत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है। वेबसाईट से प्रस्ताव प्रारूप डाउनलोड करते हुए प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने की स्थिति में दस्तावेज शुल्क राशि रूपये 10,000.00 (रूपये दस हजार) का डिमाण्ड ड्राफ्ट जो आयुक्त, नगर पालिक निगम, अम्बिकापुर के पक्ष में देय हो प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

आयुक्त
नगर पालिक निगम
अम्बिकापुर